



आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

ब्लॉक-4, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302015, राजस्थान

वेब साईट:- <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

ई.मेल:- hrd.cce@gmail.com फोन नं. 0141-2706736(0)

क्रमांक:एफ1 (02)विद्या संबल/आकाशि/गे.फै./दिशा निर्देश/21-00638/19

दिनांक:- 11/03/2024

प्राचार्य,
रामस्त राजकीय/राजसेस
महाविद्यालय, राजस्थान

विषय:- प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में विद्या संबल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फ़ैकल्टी से आवेदन पत्र प्राप्त कर अध्यापन कार्य करवाये जाने के संबंध में।
संदर्भ:- विभाग का पूर्व राजकाज नम्बर 4508345 दिनांक 12.08.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि वर्तमान में प्रथम वर्ष में सेमेस्टर प्रणाली लागू किये जाने के फलस्वरूप महाविद्यालयों में द्वितीय सेमेस्टर में अध्यापन कार्य करवाये जाने हेतु विभाग के पत्र क्रमांक 16 दिनांक 06.03.2024 के द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये थे कि निरन्तरता में जिन महाविद्यालयों को सत्र 2023-24 में जारी विभिन्न आदेशों द्वारा दिनांक 28.02.2024 तक विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फ़ैकल्टी द्वारा अध्यापन कार्य करवाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, उन सभी महाविद्यालयों (कृषि एवं विधि महाविद्यालयों सहित) में विभाग द्वारा जारी पत्रांक 16 दिनांक 06.03.2024 के क्रम में प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में विद्या संबल योजना के अन्तर्गत गेस्ट फ़ैकल्टी से आवेदन पत्र प्राप्त कर अध्यापन कार्य करवाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ. केशव शर्मा)

संयुक्त निदेशक (HRD)

कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. वेब साईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
02. नोडल महाविद्यालयों को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन राजसेस (कृषि एवं विधि) महाविद्यालयों से उक्त निर्देशों की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करें।
03. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. केशव शर्मा)

संयुक्त निदेशक (HRD)

कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर